

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



राजस्थान आवासन मण्डल की 228 वीं बैठक दिनांक 25.01.2016 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुयी। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1. श्री अशोक जैन	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2. श्री अशोक जैन	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
3. श्री ओ.पी.सैनी	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
4. श्री सिद्धार्थ महाजन	शासन सचिव, वित्त-प्रथम(व्यय)	सदस्य
5. श्री शंकर लाल कुमावत	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य-सचिव

श्री प्रवीण जैन, मुख्य नगर नियोजक द्वारा अवकाश पर होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न मण्डल अधिकारी भी उपस्थित रहे :-

1. श्री के.सी. मीणा	मुख्य अभियन्ता-प्रथम
2. श्री जी.एस. बाघेला	मुख्य अभियन्ता-द्वितीय
3. श्री नरेन्द्र धुन्ना	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
4. श्रीमती श्रुति भारद्वाज	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक
5. श्री नत्थूराम	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम
6. श्री वी.के.माथुर	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय
7. श्री वृन्दावन बिहारी माथुर	वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक
8. श्री अरुण जोशी	उप निदेशक (जनसम्पर्क)

—:: कार्यवाही विवरण ::—

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
228.1	दिनांक 28.09.2015 को सम्पन्न हुई मण्डल की 227वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	227वीं बैठक दिनांक 28.09.2015 के निर्णयों की पुष्टि की गयी।	Secretary
228.2	दिनांक 28.09.2015 को सम्पन्न हुई मण्डल की 227वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन।	227वीं बैठक के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary

(Handwritten signature)

228.3	<p>मण्डल की विभिन्न समितियों के निर्णयों की पुष्टि :-</p> <p>228.3.1 -:</p> <p>कार्य समिति की बैठक दिनांक 24.04.2015, 03.08.2015, 11.8.2015, 16.10.2015 एवं दिनांक 21.12.2015 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।</p>	<p>कार्य समिति की बैठक दिनांक 24.04.2015, 03.08.2015, 11.8.2015, 16.10.2015 एवं दिनांक 21.12.2015 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि भविष्य में समितियों की बैठक के कार्यवाही विवरण समिति की बैठक की तिथि के तुरन्त बाद होने वाली आगामी बोर्ड बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किये जावे।</p>	CE (HQ)
228.4	<p>परिचलन द्वारा प्रस्ताव संख्या - 236 / 2015</p> <p>Approval of Memorandum of Understanding Between Rajasthan Housing Board (RHB) & Singapore Cooperation Enterprises(SCE) Regarding Cooperation for the Master Planning of new Township at Jodhpur & Udaipur</p>	<p>प्रस्तावानुसार परिचलन द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की गई।</p>	CE (HQ)
228.5	<p>संशोधित बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं बजट अनुमान 2016-17 को आगामी बोर्ड बैठक में स्वीकृति हेतु रखवाने बाबत।</p>	<p>मण्डल बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत राजस्थान आवासन मण्डल के संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2015-16 का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया एवं वर्ष 2016-17 के प्रस्तावित बजट प्रस्तावों का निम्नानुसार संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया :-</p> <p>वर्ष 2016-17 के दौरान पूर्ण की जाने वाली 9082 ईकाईयों की संख्या में वृद्धि के प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाये।</p>	FA

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।


साचिव



:: राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ::

क्रमांक-:प.1(1)कार्मिक/बो.मी./228/2016/३९३३


दिनांक-: 11/2/16

संशोधित कार्यवाही विवरण

राजस्थान आवासन मण्डल के संचालक मण्डल की दिनांक 25.01.2016 को आयोजित 228वीं बैठक के विचार बिन्दु संख्या-228.5 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में जारी कार्यवाही विवरण में आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता है :-


बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
228.5	संशोधित बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं बजट अनुमान 2016-17 को आगामी बोर्ड बैठक में स्वीकृति हेतु रखवाने बाबत।	मण्डल बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत राजस्थान आवासन मण्डल के संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 के प्रस्तावित बजट प्रस्तावों का निम्नानुसार संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया :- वर्ष 2015-16 के दौरान पूर्ण की जाने वाली 9082 ईकाईयों की संख्या में वृद्धि के प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाये।	FA

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(शंकर लाल कुमावत)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सचिव (वित्त-व्यय), विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (मु.)/I/II राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी, राआमं., जयपुर।
9. मुख्य सम्पदा प्रबंधक/उपसचिव/वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक, रा.आ.म., जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक